राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–एफ. 3(ख) (यू–178/88)/अलेसे–II/ दिनांक :– 23.4.15

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 95 दिनांक 26.10.2014 के द्वारा श्री उदय सिंह राठौड़, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (मैरिट नं. 178/88, लिंक नं0 5573) कार्यालय सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर का स्थानान्तरण/पदस्थापन संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, सचिवालय, जयपुर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के नवक्रमोन्नत पद पर किया गया था, किन्तु विभागीय आदेश की पालना में आज दिनांक तक श्री राठौड़, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

अतः श्री उदय सिंह राठौड, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को संदर्भित आदेश दिनांक 26.10.2014 के क्रम में आज दिनांक 23.04.2015 को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 24.04.2015 को पूर्वान्ह में ही नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा विभागीय आदेशों की अवहेलना के लिए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :–एफ. 3(ख) (यू–178/88)/अलेसे–II/ 5744-50 दिनांक :– 23.4.15

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय–1) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. प्राचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को दिनांक 24.04.2015 को पूर्वान्ह में कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित कर विभाग को सूचित करावें।
4. कोषाधिकारी सचिवालय/शहर को प्रेषित कर लेख है कि श्री उदय सिंह राठौड़, सलेअ ग्रेड–II का माह अप्रेल, 2015 का वेतन बिल नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने तक पारित नहीं किया जावें।
5. श्री उदय सिंह राठौड़, सलेअ ग्रेड–II, कार्यालय सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन से कार्यभार छोड़कर (Charge relinquish) नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना अविलम्ब फैक्स/व्यक्तिशः प्रस्तुत करावें, अन्यथा निर्देशो की अवहेलना के लिये बिना किसी सूचना के अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।
6. उपनिदेशक (एसीपी), कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

G:\order.docx 42